कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 1979 FP/UK/ROAD/16517/2015 दिनॉकः देहरादून 7 फरवरी, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः–जनपद चमोली में पलेठी–सरतोली मोटर मार्ग के स्थान सिकोटी नामक तोक से ग्राम गोलिम पोल, रोपा होते हुए अनुसूचित ग्राम चलथर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/16517/2015

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 30.04.2019

महोदय,

विष्यांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 30.04.2019** के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, पौड़ी से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	State Govt may sibmit the reason of delay of almost 3 years in submitting the reply to the EDS dt 28-06-2016.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है, कि आनलाईन के पश्चात विभिन्न स्तरों पर प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया जाता रहा। इसी अवधि में मोटर मार्ग से लाभान्वित ग्रामों की अनापत्ति चाही गयी, पूर्व में अनापत्ति दिये जाने के कारण ग्रामीणों द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में विलम्ब हुआ, जिससे आपत्तियों के निराकरण में विलम्ब हुआ।
2	In reply to point No-02 and 03 though the correct digital map has now submitted but the same is not C/S by DFO.	The geo-referenced digital map C/S by DFO has been uploade in additional information in Form A, part I and annexed herewith.
3	In reply to point No-09 correct data has not been filled in details regarding employment likely to be generated during the construction of the project.	Correction has been done in Employment generation detail at para E of part I by user agency.
4	At para A-(3) (xvi) part I, authorization letter found is not in the name as provided at para A-3 (i), (ii) & (iii) part I online.	The correct authority letter has been uploaded in para A-3 (xvii) part I and annexed herewith.
5	Justification for locating the project in forest land is not c/s by DFO.	Justification has been authenticated by DFO and uploaded in para D (ii) in Form A, part I and annexed herewith.
6	In Joint Inspection Report area proposed for diversion is written as 3.92 ha and trees proposed to be felled in projet is given as 777.	The corrected JIR submitted in additional information in form A, part I and annexed herewith
7	Number of trees uploaded online part Para 4 part II are 275 however list of 442 trees including 311 banj trees submitted in the hard copy.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है, कि उक्त मोटर मार्ग हेतु आवेदित भूमि में (वन भूमि–452 वृक्ष, नाप भूमि–325 वृक्ष कुल 777 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। बॉज के वृक्षों की कुल संख्या 311 जिसमें से वन भूमि में 217 वृक्ष व नाप भूमि (निजि भूमि में) 94 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। पार्ट ।। में 0–10 व्यास वर्ग के कुल 177 वृक्षों को छोडकर कुल 275 वृक्षों को आनलाईन किया गया है। जिसमें 217 वृक्ष बांज के भी है।

संलग्न–यथोपरि।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा) 6/2/20

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी